भारत सरकार	**लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	**अतारांकित प्रश्न सं. 3794**
वाणिज्य विभाग	

दिनांक 12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत का द्विपक्षीय व्यापार

3794. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2020 से एफटीए के कार्यान्वयन के बाद देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा और निर्यात प्रदर्शन के राज्य-वार और वर्ष-बार आंकड़े क्या हैं;

(ख) नई पीढ़ी के एफटीए के तहत टैरिफ उन्मूलन या कमी के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है और व्यापार संतुलन पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) नए एफटीए करने से पहले हितधारक परामर्श और उद्योग आउटरीच आयोजित करने के लिए मौजूद तंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोपीय संघ जैसे देशों के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर करने और उन्हें लागू करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और उनके परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने क्षेत्र वार लाभों का आकलन करने, डंपिंग से बचाव करने और एफटीए से उत्पन्न घरेलू उद्योग की चिंताओं का समाधान करने के लिए कोई निगरानी तंत्र शुरू किया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ) भारत ने वर्ष 2020 से अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ 5 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

क्रम संख्या	समझौते का नाम	समझौते पर हस्ताक्षर की तिथि	समझौते के कार्यान्वयन की तिथि
1	भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (सीईसीपीए)	22 फरवरी, 2021	1 अप्रैल , 2021
2	भारत-यूएई सीईपीए	18 फरवरी, 2022	1 मई 2022
3	भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए)	2 अप्रैल, 2022	29 दिसंबर 2022.
4	भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए)	10 मार्च 2024	ईएफटीए देशों द्वारा अनुसमर्थन के बाद इसे कार्यान्वित किया जाएगा
5	भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए)	24 जुलाई 2025	अनुसमर्थन के बाद कार्यान्वित किया जाएगा

मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के संबंध में पण्य वस्तु निर्यात, आयात और व्यापार संतुलन निम्नानुसार है:

एफटीए साझेदार देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार (मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)						
देश/क्षेत्र	व्यापार प्रवाह	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
ऑस्ट्रेलिया	निर्यात	4044	8283	6951	7941	8579
	आयात	8247	16756	19011	16159	15527
मॉरीशस	निर्यात	423	715	463	778	676
	आयात	43	72	91	73	211
संयुक्त अरब अमीरात	निर्यात	16680	28045	31609	35625	36636
	आयात	26623	44833	53232	48026	63423
स्रोत-डीजीसीआईएस						

भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के तहत, वर्ष 2023-24 और 2024-25 में निर्यात में क्रमशः 14% और 8% की वृद्धि हुई है। भारत-यूएई एफटीए के तहत, वर्ष 2024-2025 में मुख्य आयातों में पेट्रोलियमः कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और अन्य संबंधित वस्तुएँ शामिल थीं। भारत के कृषि उत्पादों और

फार्मास्यूटिकल्स के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त, एफटीए के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

एफटीए में, टैरिफ में कमी/उन्मूलन, पक्षों के बीच सहमत टैरिफ तौर-तरीकों के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है। उत्पादों को विशिष्ट श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे: टैरिफ उन्मूलन तत्काल, जहाँ शुल्क लागू होते ही शून्य हो जाते हैं; चरणबद्ध रूप से टैरिफ उन्मूलन जहाँ शुल्क एक सहमत चरणबद्ध अवधि (जैसे, 3, 5, 7, 10 वर्ष) में समाप्त किए जाते हैं; टैरिफ में कमी; और टैरिफ दर कोटा। विवरण अनुबंध 1 में दिए गए हैं।

वाणिज्य विभाग व्यापार समझौतों पर बातचीत और निरंतर आधार पर समीक्षा कर रहा है। नए एफटीए वार्ता में प्रवेश करने से पहले, प्रस्तावित एफटीए की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह की स्थापना की जाती है, जिसमें घरेलू उद्योग पर उनका प्रभाव भी शामिल है। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि वार्ता के सभी चरणों में व्यापक हितधारक परामर्श आयोजित किए जाएं। इसमें समझौतों के कार्यान्वयन के दौरान पूर्व-वार्ता चरण, वार्ता के प्रत्येक दौर और समापन के बाद का चरण शामिल है। इन क्षेत्र-विशिष्ट परामर्शों के माध्यम से, वार्ता के दौरान किसानों, एमएसएमई आदि की घरेलू संवेदनशीलता और हितों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है। एफटीए का उद्देश्य उद्योग, किसानों, एमएसएमई के लिए लाभ उत्पन्न करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। एफटीए पर बातचीत निष्पक्षता और पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित एक व्यापक, संतुलित, व्यापक और न्यायसंगत समझौता करने के प्रयास से की जाती है। यह व्यापारिक साझेदार देशों में भारतीय निर्यातकों के लिए उनके प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले समान अवसर भी सुनिश्चित करता है।

इस संरचित दृष्टिकोण के अतिरिक्त, कार्यान्वयन के बाद, वाणिज्य विभाग व्यापार संवर्धन, व्यापार सुविधा और व्यापार एवं आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपायों के माध्यम से व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग सहित सभी हितधारकों के साथ निरंतर रूप से जुड़ा हुआ है।

घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा के लिए, एफटीए उन वस्तुओं की संवेदनशील, नकारात्मक या बहिष्कृत सूची बनाए रखने का प्रावधान करते हैं जिन पर सीमित या कोई टैरिफ रियायतें नहीं दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, आयात में वृद्धि और घरेलू उद्योग को नुकसान होने की स्थिति में, किसी देश को एफटीए के तहत पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत अवधि के भीतर आयात पर एंटी-डंपिंग और सुरक्षा उपायों जैसे व्यापार सुधारात्मक उपायों का सहारा लेने की अनुमति है। एफटीए में व्यापार में तकनीकी बाधाओं पर प्रावधान शामिल हैं ताकि प्रत्येक पक्ष के मानकों, तकनीकी नियमों और पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों की आपसी समझ को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अतिरिक्त, एफटीए गैर-तकनीकी बाधाओं को दूर करते हैं, जिससे भारतीय वस्तुओं के लिए निर्यात बाजारों तक आसान

और अधिक प्रभावी पहुंच की सुविधा मिलती है। एफटीए में उभरती वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप समीक्षा के लिए उप-समितियां शामिल हैं।

अनुबंध 1

भारत के द्विपक्षीय व्यापार के संबंध में दिनांक 12.8.2025 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्य डॉ. डी. पुरंदेश्वरी द्वारा उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3794 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के तहत टैरिफ उन्मूलन या कमी

	भारत		**ऑस्ट्रेलिया**	
टैरिफ तौर-तरीके	**लाइन की संख्या (एचएस 8-अंकीय स्तर)**	**कुल लाइन का %**	**लाइन की संख्या (एचएस 8-अंकीय स्तर)**	**कुल लाइन का %**
टीईआई	4760	40.0%	6367	98.3%
टीईपी (5/7/10 वर्षों में)	3601	30.2%	113	1.7%
टीआर/टीआरक्यू	7	0.1%	-	-
बहिष्करण	3540	29.7%	-	-
कुल लाइन	**11908**	**100.0%**	**6480**	**100%**

भारत-यूएई सीईपीए के तहत टैरिफ उन्मूलन या कमी

	भारत		**संयुक्त अरब अमीरात**	
टैरिफ तौर-तरीके	**लाइन की संख्या (एचएस 8-अंकीय स्तर)**	**कुल लाइन का %**	**लाइन की संख्या (एचएस 8-अंकीय स्तर)**	**कुल लाइन का %**
टीईआई	7694	64.61%	6090	80.33%
टीईपी (5/7/10 वर्षों में)	2401	20.16%	1269	16.74%
टीआर/टीआरक्यू	656	5.51	35	0.46%
बहिष्करण	1157	9.72	187	2.47%
कुल लाइन	11908	100%	7581	100%

भारत के अंतर्गत टैरिफ उन्मूलन या कमी- मॉरीशस सीईसीपीए

	भारत		मॉरीशस	
टैरिफ तौर-तरीके	लाइन की संख्या (एचएस 8-अंकीय स्तर)	कुल लाइन का %	लाइन की संख्या (एचएस 8-अंकीय स्तर)	कुल लाइन का %
टीईआई	38	5.56%	116	29.44%
टीईपी (5/7/10 वर्षों में)	338	49.49%	89	22.59%
टीआर/टीआरक्यू	112	16.40%	79	20.05%
कुल कमी	117	17.13%	16	4.06%
कुल एमओपी	10	1.46%	10	11.90%
बहिष्करण	68	9.96%	84	21.32%
कुल लाइन	683	100.00%	394	100.00%

टैरिफ तौर-तरीकों का विवरण:

टीईआई: टैरिफ उन्मूलन तत्काल

टीईपी: टैरिफ उन्मूलन चरणबद्ध

टीआर: टैरिफ में कमी

टीआरक्यू: टैरिफ दर कोटा

एमओपी : वरीयता मार्जिन

*****